फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय बनाम हरिया गोपाल शर्मा वगैरा

क्रमा संख्या / वर्ष / 20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
5/8/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी का स्थायी निषेधाज्ञा का दावा सुनने हेतु, वास्ते आदेश दिनांक 12/8/25 को पेश हो।	
12/8/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्लाट T-I में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र T-I स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने व वकील प्रार्थी की बहस का मनन करने पर प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाये जाते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र T-I खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होना वर्ष समय से कम की जाने बाद तामील पावित हो। सुनाया गया।	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)